न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली राजस्थान

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार गोयल आर.ए.एस

किस्म मुकदमा	तारीख रजू	तारीख फैसला
दावा 53,88,188 आर.टी.एक्ट	25.6.1998	10.7.2017

उनवान

[illegible] अहमद पुत्र रहमत खॉ जाति मुसलमान निवासी वागुर मौहल्ला ढोलीखार [illegible] तहसील व जिला करौली

—वादी

बनाम

1 [illegible] उर्फ पुन्नू पुत्र रहमत खॉ जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार करौली
2 [illegible] बेटा रहमत खॉ जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार करौली
3 [illegible] पुत्री रहमत पत्नी कदीर जाति मुसलमान निवासी चमरवाला ढोलीखार करौली
4 [illegible] पुत्री रहमत पत्नी वहीद जाति मुसलमान निवासी बागुर करौली
5 [illegible] पुत्री रहमत पत्नी रशीद जाति मुसलमान निवासी चीलपुरा मौहल्ला सरमथुरा जिला धौलपुर
6 छोटी पुत्री रहमत पत्नी कल्लू जाति मुसलमान निवासी ईदगाह के पीछे हिण्डौन जिला करौली
7 लल्लो पुत्री रहमत पत्नी पप्पी जाति मुसलमान निवासी वागुर करौली
8 वकीमुदीन
9 सकीनुदीन
10 नजरो
11 मसलो

(8 से 11) → पिसरान पुन्नू जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार बागुर तहसील व जिला करौली

12 भैया पुत्र पुन्नू जाति मुसलमान नावालिगान जरिये वली कुदरती पिता पुन्नू जाति मुसलमान निवासी वागुर जिला करौली तहसील व जिला करौली
13 सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

—प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 10.7.2017

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 3600,3601,3602,3605,ल0 3607,3609,लगायत 3611, कुल किता 9 कुल रकवा 3 वीधा 19 विस्वा एवं खसरा नम्बर 29.05 ,2909,2911,2912 लगायत 2916,कुल किता 8 कुल रकवा 4 वीधा 13 विस्वा वाके हार कल्लूशाह कस्वा करौली मे स्थित है। जो वादी व प्रतिवादीगण के पिता पति व दादा मरहूम की जैर खाता की पुश्तैनी आराजीयात थी जो रहमत खा के पिता से उनको मिली थी इसके अलावा मरहूम रहमत के नाम और भी आराजीयात है जिनकी जानकारी होने पर अलग से कार्यवाही की जावेगी। मृतक रहमत के वारिसान को शजरा दर्ज बाद पत्र मे दर्शाया गया है। शजरे के मुताबिक मृतक के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 है विवादित आराजीयात पुश्तैनी है इस कारण जितने हकूक रहमत खॉ के थे उतने ही रहमत खा की जिन्दगी मे ओर उनके मरने के वाद वादी एवं प्रतिवादीगण को थे और रहे है पूर्व मे हमारे दादा व परदादा व दीगर वारिसो के नाम पीढी दर पीढी चली आ रही है वाद पत्र मे दर्ज आराजीयात व दीगर आराजीयात पर वादी के शजरे के मुताबिक 1/8 हिस्से के हकूक बनते है वादी अपने हिस्से के मुताबिक कुए की आराजी को काश्त करता है जिसमे वादी ने अपनी मोटर भी लगा रखी है वादी ने हजारो रूपये लगाकर उक्त अपने हिस्से की आराजीयात को हमवार किया है तथा खसरा नम्बर 2916 मे वादी ने अपनी निजी लागत से पैसा लगाकर सन् 1971 मे कुआ खुदवाया है तथा विधुत कनेक्शन लेकर पानी की मोटर भी लगा रखी है प्रतिवादी नम्बर 1 लड़ाक किस्म का आदमी है [illegible]

दिया इसी तरह पर पतिवादी नम्बर 2 गफ्फो को भी इन लोगों ने डरा धमका दिया है तथा वह इनके खौफ के कारण वादी से नही मिल रही है इस तरह पर अपनी मुकम्मल ताकत के बल पर प्रतिवादी नम्बर 1 ने आख मीच कर पिता से उसकी बीमारी तथा बृद्धावस्था और आखो से कम दिखने जैसे हालात का भरपूर लाभ उठाया मरने से करीब 2 वर्ष पूर्व से रहमत की चलने फिरने की अवस्था नही थी पिता के फौत होने के वाद दिनांक 15.6.1998 को प्रतिवादी पुन्नू व इसके लडके प्रतिवादी नम्बर 8 ता 12 विवादित आराजीयात पर आये तथा यह धमकी दी कि अब तू जमीनों पर मत जाना हमने बाप से वसीयत हम लोगो के ही नाम कराली है और इस वसीयत के जरिये हम नामान्तकरण अपने नाम कराने वाले है तथा मुझे एक इंच भी जमीन नही देगे यदि जमीन मे तूने कोई काश्त की तो काटकर जमीन मे ही कब बना देगे वादी ने दीगर प्रतिवादीगण व माँ वहनो से कहा तो वे भी वादी के खिलाफ बोलने लगे। इस प्रकार वादी के हकूक की तलाफी की जा रही है यही वजह दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है प्रतिवादीगण यदि अपने मकसद मे कामयाव हो गये तथा वसीयत की आड मे वादी को हकूको से महरूम कर दिया तो इससे वादी को नुक्सान ना काविले तलाफी होगा। रहमत खा को पुश्तैनी आराजी मे वसीयत करने का कोई हक नही था क्योकि उसके समान हकूक वादी को प्राप्त थे। इस कारण इस प्रकार की वसीयत यदि कोई अस्तिव मे थी हो तो वह वेअसर है इसके अलावा मुस्लिम लॉ के तहत यदि रहमत खा की निजी जायदाद की हो तो भी वह सम्पूर्ण जायदाद की वसीयत नही कर सकता अन्त मे वादीगण ने दावा वादीगण डिकी किये जाने एवं वादी को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित कराने एवं अपने हिस्से का वटवारा कराने एवं प्रतिवादी नम्बर 8 ता 12 को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि आराजीयात का कस्वा करौली में स्थित होना व रहमत के पुत्र पुत्रीयों का दर्ज शजरा सही व स्वीकार है। इस मद में दर्ज अन्य तथ्य गलत हैं अस्वीकार हैं उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 के पिता रहमत खां को प्राप्त खातेदारी अधिकार स्वअर्जित रहे हैं। वादी द्वारा रहमत खा को उक्त आराजी रहमत खां के पिता से मिलना गलत दर्ज किया है वादी का 1/8 हिस्से के हकूक का बनना वादी का इसी हकूक के अनुसार कुऐ की आराजियात को काश्त करना वादी द्वारा कुआ खुदवाना व इसमें बिजली कनेक्शन लेकर अपनी मोटर लगाया जाना हजारों लाखों रूपये लगाकर अपने हिस्से की आराजीयात को हमवार करना तथा प्रतिवादीगण का लडाकू होने बाबत तथ्यो को दर्ज किया है। वह गलत है अस्वीकार है इस समस्त तथ्यों को वादी ने आधार मुकदमा बनाने को दुर्भावना से गलत अंकित किया है जो अस्वीकार हे वादी का विवादित आराजी कुआ व मोटर से किसी किस्म का कोई सम्बन्ध कभी नहीं रहा है रहमत की मृत्यु होना सही स्वीकार है पिता रहमत ने वादी की शादी की और उसको टेलरिंग की दुकान खुलवाई जिस पर पिता ने धन खर्च किया इसके बाबजूद भी वादी ने पिता रहमत की कोई सेवा चाकरी नहीं की तथा उपेक्षित छोड दिया अब जायदाद हडपने के लिए उक्त सारे गलत तौर पर दर्ज किये है वादी को कोई बिनाय मुखास्मत प्रतिवादीगण के विरूद्व पैदा नहीं हुयी है रहमत खां द्वारा प्रतिवादी नम्बर 8 ता 12 के हक में वसीयत कराने के वाद जिसके भी जो भी अधिकार थे वो समाप्त हो चुके है विवादित आराजीयात प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता प्रतिवादी नम्बर 2 के पति एवं प्रतिवादी नम्बर 3 ता 7 के पिता एवं प्रतिवादी नम्बर 8 ता 12 के पितामह रहमत की स्वअर्जित खातेदारी की है जिसमे कुछ भूमि रहमत को आवटन से प्राप्त हुयी है और कुछ खसरा नम्बर की भूमि उसने कस्टोडियन से खरीदी थी तथा सदैव से भूमि को रहमत काश्त कर फसल लाभ लेता रहा है और प्रतिवादी नम्बर 1 उक्त भूमि के कब्जे काश्त मे रहमत को सहयोग देता रहा है और काश्त फसल से लाभ उठाते रहे है प्रतिवादी फजलुदीन तथा पिता रहमत शुरू से शामलाती परिवार के रूप मे

राशि खर्च की विवाह होने के वाद उसकी पत्नी ने घर मे अशांति करना शुरू कर दिया तो पिता द्वारा वादी को अपनी निजी आय से रूपये बचा बचा कर एकत्रित की गयी धन राशि से वादी को पृथक मकान बनाकर कर भी दिया उसके बाबजूद वादी ने रहमत पिता के जीवन काल मे पिता की कोई सेवा नही की ना उनके पालन पोषण मे दिल चस्पी ली तथा अब मॉ भी जिन्दा है जिसकी भी वह कोई सभाल नही करता वहिनो के भात जामनो का भी खर्च भी अकेले प्रतिवादी नम्बर 1 को उढाना पड रहा है वादी अपनी जिम्मेदारीयो को महसूस नही कर केवल अपने अधिकारो के प्रति ही जागरूक है मोटर लगवाने मे हुये खर्च के लिऐ पिता द्वारा केदार शर्मा करौली से 1283 रूपये कर्ज लिया था जिसको भी प्रतिवादी नम्बर 1 ने दिनांक 30.6.1989 को वेवाक किया है विवादित भूमि की रहमत खा द्वारा अपने जीवनकाल मे ही दिनांक 28.11.1997 को विवादित आराजी सहित समस्त चल अचल सम्पति को प्रतिवादी नम्बर 1 के पुत्रो प्रतिवादी नम्बर 8 ता 12 के हक मे वसीयत नामा तहरीर तकमील करवा कर अपने हस्ताक्षरो से इस वसीयतनामे को निस्पादित कर पंजीयन करवा दिया है और विवादित भूमि में रहमत को प्राप्त समस्त हक हकूक इस वसीयतनामे की रूह से प्रतिवादी नम्बर 8 ता 12 मे मुन्तकिल हो चुके है तथा पिता के देहान्त के वाद वादी को इस वसीयत नामे के खिलाफ उज्र करने का कोई अधिकार नही है तथ पिता की मृत्यु के वाद प्रतिवादी नम्बर 8 ता 12 को विवादित भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकार हासिल है अन्त में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनो के आधार पर निम्न विवाधक बिन्दू विरचित किये गये है।

1– आया कस्वा वादी करौली के खसरा नम्बर जो दर्ज वाद पत्र के मद नम्बर 1 वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सहखातेदारी की है —वादी

2– आया आराजी विवादित मे वादी हिस्सा 1/8 का सहखातेदार है वादी अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने तथा वॅटवारा कराने का अधिकारी है। —वादी

3– आया वादी अपने हिस्से पर कब्जे काश्त में वाधा उत्पन्न न करने के लिए प्रतिवादी नम्बर 8 ता 12 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। —वादी

4– आया आराजी विवादित पिता रहमत की स्व अर्जित है जिसके मुताबिक वसीयत वादी के कोई हकूक नहीं है। —प्रतिवादी

5 अनुतोष

वाद विवाधक बिन्दु वादी साक्ष्य ली गयी वादी ने अपनी मोखिक साक्ष्य में स्वयं वादी पीडब्लू 1 के रूप मे बयान लेख वद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत मे नकल जमाबंदी सम्बत 2052 से 55 प्रदर्श 1 व 2 प्रदर्श करायी है साक्ष्य वादी समस्त होने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण ली गयी प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में फजलुदीन डीडब्लु 1 स्वयं प्रतिवादी नम्बर 1 व गवाह डीडब्लू 2 शकूर के बयान लेखवद्ध कराये हैं एंव वसीयत नामा की प्रमाणित प्रति दिनांक 28.11.1997 की प्रस्तुत की है। साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त कर बन्द की गयी।

बहस वकील उभपक्षकारान सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया । वहस के वाद दिनांक 12.6.2017 को वकील फरीकेन ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की है।

बकील वादी का बहस में कथन है कि विवादित आराजीयात वाके कल्लूशाह के पास करौली मुझ वादी अशफाक व प्रतिवादीगण के पिता व पति बाबा मरहूम रहमत के जेर खाता व कब्जे काश्त की रही है। अर्न्थात पक्षकरान की मौरूसी कब्जे काश्त की है जिसका शजरा भी दावा के साथ सलग्न किया गया है वादी ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य मे दो किता जमाबन्दी व मृत्यु प्रमाण पत्र रहमत खा पेश किये है जो प्रर्दश 1 व 2 है प्रतिवादीगण की ओर से यह ...

भूमि रहमत ने कस्टोडियन विभाग से खरीदी थी उक्त भूमि पुश्तैनी नही बल्कि रहमत खा की स्वअर्जित थी तथा उक्त भूमि पर रहमत को खातेदारी अधिकार स्वअर्जित है वादी ने पुश्तैनी भूमि होने का कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है। जबकि भूमि को पुश्तैनी सावित करने का भार वादी पर था भूमि को सदैव से रहमत ही काश्त कर काबिज रहा है और प्रतिवादी नम्बर 1 रहमत की काश्त में सहयोग करता रहा है वादी रहमत के जीवन काल मे ही शादी होने के वाद से अलग रहता है तथा रहमत द्वारा करब 25–30 हजार रूपये लगाकर वादी को वाजार में सिलाई की दुकान खुलवाई व मकान बनवाया परन्तु वादी दुकान को खाली कर दुकानदार से दुकान खाली करने के पैसे लेकर सरदारपुरा बस गया और वादी ने पिता माता की कोई सेवा चाकरी नही की ना ही वहिनो के भात जामने दिये है नाही वादी ने पिता व माता का पालन पोषण किया है ना कोई सार सभाल व देखभाल की है प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा ही बहनो के भात जामनो का खर्च उठाया जाता रहा है विवादित भूमि मे कुआ रहमत द्वारा खुदवाया गया और विधुत कनेक्शन रहमत द्वारा लेकर रहतम द्वारा ही कर्ज लेकर मोटर लगवायी है वादी ने कोई रकम खर्च नही की है। वादी द्वारा जिरह मे भी यह माना है कि कितनी भूमि है मुझे पता नही भूमि के खसरा नम्बर क्या क्या है मुझे पता नही विवादित भूमि रहमत खा की स्वअर्जित सम्पति है और रहमत ने अपनी जिदंगी मे ही अपने जीवन काल मे दिनांक 28.11.1997 को विवादित भूमि की एवं समस्त चल व अचल सम्पत की प्रतिवादी नम्बर 1 के पुत्रो प्रतिवादी नम्बर 8 ता 12 के हक मे रजिस्टर्ड वसीयत नामा तहरीर तकमील करवा दिया है। तथा अपने हस्ताक्षरो से इस वसीयत नामे को निषपादित कर पंजीवद्ध करवा दिया है और रहमत के मरने के वाद विवादित भूमि के हक हकूक प्रतिवादी नम्बर 8 ता 12 मे निहित हो चुके है वसीयत नामा को निरस्त करने का हक न्यायायला हाजा को नही है वसीयतनामा को चुनौती सिविल न्यायालय मे दी जा सकती है वसीयतनामा की प्रमाणित प्रति प्रतिवादीगण ने पत्रावली मे प्रस्तुत की है। अन्त मे दावा वादी खारिज किये जाने का कथन किया है।

वहस वकील फरीकेन का मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जा रहा है। जो निम्न प्रकार है।

विवाधक संख्या 1 को सावित करने का भार वादी पर है वादी ने इस सम्बन्ध मे नकल जामाबन्दी सम्बता 2052 से 2055 प्रदार्श 1 व 2 प्रस्तुत की है। एवं स्वयं का मोखिक बयान दिया है वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श 1 व 2 रहमत के खातेदारी मे दर्ज है वादी द्वारा मरहूम के समय का कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित भूमि पुश्तैनी साबित होती हो। एवं नाही वादी ने अपनी सहखातेदारी का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया है इस प्रकार वादी विवादित भूमि को पुश्तैनी व स्वयं की खातेदारी की सावित नही कर सका है अत विवाधक संख्या 1 वादी के विरूद्व एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाधक संख्या2 को साबित करने का भार भी वादी पर है विवाधक सख्या 1 के विवेचन से वादी विवादित भूमि का खातेदार सहखातेदार एवं पुश्तैनी होना साबित नही कर पाने से वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार या सहखातेदार काश्त कार ही नहीं है तब वादी अपने हक मे कोई घोषणा व वॅटवारा करानेका हकदार नही है और विवाधक सख्या 2 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय किया जाता है।

विवाधक संख्या 3 को साबित करने का भार वादी पर है वादी विवादित आराजीयात का अपने आपको खातेदार साक्ष्य से खातेदार काश्त कार सावित करने मे असफल रहा है और विवादित भूमि रहमत के खातेदारी मे दर्ज है। और रहमत खा द्वारा प्रतिवादी 8 ता 12 को दिनांक 28.11.1997 को रजिस्टर्ड वसीयत नामा तहरीर तकमील करा दिया है और रहमत की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादी नम्बर 8 ता 12 रहमत के बसीयत वारिस होने से भूमि के खातेदार काश्तकार स्वत हो चुके है और विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा

है। वादी मरहूम के समय की पुश्तैनी भूमि होना साबित अपनी साक्ष्य से नहीं कर पाया है अतः विवाधक सख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष मे वादी के विरूद्व तय किया जाता है।

विवाधक संख्या 5 अनुतोष है वादी अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित करने मे पूर्ण असफल रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत 2052 से 2055 प्रदर्श 1 व 2 से ही विवादित भूमि रहमत खॉ के तन्हा खातेदारी व कब्जे की होना प्रमाणित है वादी विवादित भूमि को पुश्तैनी साबित करने मे असफल रहा है एवं वादी द्वारा वसीयतनामा को आज दिवस तक सिविल न्यायालय से निरस्त नही करया गया है न्यायालय को वसीयत की बैधता एवं अवैधता की जॉच करने का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नही है ऐसी स्थिति मे दावा वादी चलने योग्य नही है।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हजो।

निर्णय आज दिनांक 10.7.2017 को खुले न्यायालय मे लिखया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
करौली